



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235863
CG-DL-E-19052022-235863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2158]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944

No. 2158]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2277(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-73 पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-344 कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.000 (रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर -उ. प्र./हरियाणा बॉर्डर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हरिद्वार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-73 पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-344 कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.000 (रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर -उ. प्र./हरियाणा बॉर्डर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड जिले का नाम: हरिद्वार					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भगवानपुर					
गांव का नाम: भगवानपुर मुस्तहकम					
1	348	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
2	349	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
3	354	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
4	355	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0153000(हेक्टेयर)	0.0153000
5	470	निजी	कृषि	0.0065000(हेक्टेयर)	0.0065000
6	471	सरकारी	गैर कृषि	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000
तालुक का नाम: रूडकी					
गांव का नाम: आसिफ नगर में चक					
1	81/14	निजी	कृषि	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
गांव का नाम: करोन्दी मुस्तहकम					
1	602/1	निजी	कृषि	0.0058000(हेक्टेयर)	0.0058000

गांव का नाम: किशन पुर जमाल पुर मुस्तहकम					
1	733	निजी	कृषि	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
2	734	सरकारी(जूनियर हाई स्कूल)	गैर कृषि/कृषि	0.0266000(हेक्टेयर)	0.0266000
3	735	सरकारी(जोहड़)	गैर कृषि	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
4	736	सरकारी(आबादी)	गैर कृषि	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
5	857/2	निजी	कृषि	0.0158000(हेक्टेयर)	0.0158000
गांव का नाम: ताँशीपुर					
1	15	निजी	कृषि	0.0466000(हेक्टेयर)	0.0466000
2	16	निजी	कृषि	0.0118000(हेक्टेयर)	0.0118000
कुल				0.2064	0.2064

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2277(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway no. 73 renamed as NH-344 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 22.000 (Roorkee-Chutmulpur-Saharanpur-U.P./Haryana Border Section) in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer Haridwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway no. 73 renamed as NH-344 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 22.000 (Roorkee-Chutmalpur-Saharanpur-U.P./Haryana Border Section) in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND.

State: UTTARAKHAND		District: HARIDWAR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhagwanpur					
Village: Bhagawanpur Mustahakam					
1	348	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
2	349	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0130000(Hectare)	0.0130000
3	354	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0133000(Hectare)	0.0133000
4	355	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0153000(Hectare)	0.0153000
5	470	Private	Agriculture	0.0065000(Hectare)	0.0065000
6	471	Government	Non-Agriculture	0.0040000(Hectare)	0.0040000
Taluk: Roorkee					
Village: Asif Nagar Me Chak					
1	81/14	Private	Agriculture	0.0090000(Hectare)	0.0090000
Village: Karondi Mustahakm					
1	602/1	Private	Agriculture	0.0058000(Hectare)	0.0058000
Village: Kishanpur Jamalpur Mustahakm					
1	733	Private	Agriculture	0.0075000(Hectare)	0.0075000
2	734	Government (Junior High School)	Non-Agriculture	0.0266000(Hectare)	0.0266000
3	735	Government(Johad)	Non-Agriculture	0.0104000(Hectare)	0.0104000
4	736	Government(Aabadi)	Non-Agriculture	0.0056000(Hectare)	0.0056000
5	857/2	Private	Agriculture	0.0158000(Hectare)	0.0158000
Village: Tashipur					
1	15	Private	Agriculture	0.0466000(Hectare)	0.0466000
2	16	Private	Agriculture	0.0118000(Hectare)	0.0118000
Total				0.2064	0.2064

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A]

RAJESH GUPTA, Director